## विकय बाद सूचना पत्र



Date: 14-Feb-23

बनामः– (Borrower) 5408242/post/22

25

MATHAR KHAN C/O PATHAN KHAN

JATAWAS ROHILI BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

Borrower :- MATHAR KHAN C/O PATHAN KHAN JATAWAS ROHILI BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

Co-Borrower-1: PATHAN KHAN C/O RAMDAN KHAN JATAWS ROHILI BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: HUSAIN KHAN C/O AMAD KHAN

MALIYO KI DHANI ROHILA BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोटी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:--

- 1. यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- 2. यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5408242 दिनांक 05-Oct-19 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 200000/- रूपये की ऋण राशि अपने वाहन MAHINDRA BOLERO DI जिसका पंजीकरण संख्या RJ39UA1550 है,,पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तीनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 8456/- रूपये की 36 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी ।
- उ. यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्देशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपकों 3 मिहनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 9888 /- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर, कुल वित्तिय सुविधा 209888 /- रूपयें की हो गई है।
- 4. यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशदा शर्तोन्सार समय पर अदायगी नहीं होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 5. यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमित दी थी कि फाईनेंस राशि की किश्तों की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त किश्ते अदा नहीं हो जाती वाहन अपने आधिपत्य में रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- 6. यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नही किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 17-Nov-22 को अपने अधिपत्य में लिया गया । तथा उक्त अनुबंध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन MAHINDRA BOLERO DI रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ39UA1550 इंजन नम्बर GF84G69181 एवं चेसिस नम्बर MA1XB4GFK82G13638 को अनुबन्ध की शर्तोंनुसार दिनांक 31-Dec-22 को 90000 / रूपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्में कम्पनी की 101524 / रूपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोनुसार आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पडेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपूर। 302001)

## विकय बाद सूचना पत्र



**Date: 14-Feb-23** 

बनाम:- (Co-Borrower) 5408242/post/22



PATHAN KHAN C/O RAMDAN KHAN

JATAWS ROHILI BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

Borrower :- MATHAR KHAN C/O PATHAN KHAN JATAWAS ROHILI BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

Co-Borrower-1: PATHAN KHAN C/O RAMDAN KHAN JATAWS ROHILI BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

Co-Borrower-2: NIL

26

GTR - 1: HUSAIN KHAN C/O AMAD KHAN

MALIYO KI DHANI ROHILA BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

नहोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोटी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेपित किया जाता है:---

- 1. यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- 2. यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5408242 दिनांक 05-Oct-19 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 200000/- रूपये की ऋण राशि अपने वाहन MAHINDRA BOLERO DI जिसका पंजीकरण संख्या RJ39UA1550 है,,पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तीनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 8456/- रूपये की 36 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी ।
- उ. यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्देशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपकों 3 मिहनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 9888 /- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर, कुल वित्तिय सुविधा 209888 /- रूपयें की हो गई है।
- 4. यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशदा शर्तोन्सार समय पर अदायगी नहीं होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 5. यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमित दी थी कि फाईनेंस राशि की किश्तों की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त किश्ते अदा नहीं हो जाती वाहन अपने आधिपत्य में रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- 6. यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नही किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 17-Nov-22 को अपने अधिपत्य में लिया गया । तथा उक्त अनुबंध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन MAHINDRA BOLERO DI रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ39UA1550 इंजन नम्बर GF84G69181 एवं चेसिस नम्बर MA1XB4GFK82G13638 को अनुबन्ध की शर्तोंनुसार दिनांक 31-Dec-22 को 90000 / रूपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्में कम्पनी की 101524 / रूपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोनुसार आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पडेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

7083-5338

## विकय बाद सूचना पत्र



Date: 14-Feb-23

बनाम:- (GTR) 5408242/post/22

27

HUSAIN KHAN C/O AMAD KHAN

MALIYO KI DHANI ROHILA BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

Borrower :- MATHAR KHAN C/O PATHAN KHAN JATAWAS ROHILI BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

Co-Borrower-1: PATHAN KHAN C/O RAMDAN KHAN JATAWS ROHILI BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: HUSAIN KHAN C/O AMAD KHAN

MALIYO KI DHANI ROHILA BARMER RAJASTHAN 063 NEAR GOVT SCHOOL Barmer Barmer Rajasthan 344035

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोटी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेपित किया जाता है:--

- 1. यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- 2. यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5408242 दिनांक 05-Oct-19 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 200000/- रूपये की ऋण राशि अपने वाहन MAHINDRA BOLERO DI जिसका पंजीकरण संख्या RJ39UA1550 है,,पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तीनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 8456/- रूपये की 36 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी ।
- उ. यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्देशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपकों 3 मिहनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 9888 /- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर, कुल वित्तिय सुविधा 209888 /- रूपयें की हो गई है।
- 4. यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशुदा शर्तोनुसार समय पर अदायगी नहीं होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 5. यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमित दी थी कि फाईनेंस राशि की किश्तों की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त किश्ते अदा नहीं हो जाती वाहन अपने आधिपत्य में रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- 6. यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नही किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 17-Nov-22 को अपने अधिपत्य में लिया गया । तथा उक्त अनुबंध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन MAHINDRA BOLERO DI रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ39UA1550 इंजन नम्बर GF84G69181 एवं चेसिस नम्बर MA1XB4GFK82G13638 को अनुबन्ध की शर्तोंनुसार दिनांक 31-Dec-22 को 90000 / रूपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्में कम्पनी की 101524 / रूपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोनुसार आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पडेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी—1 एवं जी—2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)